

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)



सं.मानू/ई.आर-1(बी)/एफ.20/2022-23/166

12.05.2022

आदेश

विषय : मानू-ई.आर-1 अनुभाग-डॉ.गल्ला वेंकट रत्नाकर, एसोसिएट प्रोफेसर को हिन्दी विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के संबंध में-आदेश-जारी।

संदर्भ : दिनांक 09.05.2022 को कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित।

<< :: >>

विश्वविद्यालय नियम के अधिनियम (8) में निहित प्रावधानों के अनुसार, कुलपति महोदय की अनुमति से डॉ.गल्ला वेंकट रत्नाकर, एसोसिएट प्रोफेसर को दिनांक 14.05.2022 से दो वर्ष की अवधि के लिए हिन्दी विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

2. नियुक्ति विश्वविद्यालय नियम एवं अधिनियम के नियम-8 के अंतर्गत उल्लिखित उपनियम तथा भारत के राजपत्र में प्रकाशित एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय संबद्ध अध्यादेशों द्वारा शासित होगी।

3. किसी भी प्रकार के अतिरिक्त भत्ते के अधिकारी नहीं होंगे। कार्यभार सेवा कार्यकाल में पदोन्नति के लिए किसी भी दावें हेतु उन्हें अधिकार नहीं प्रदान करेगा।

कुलसचिव

सेवा में,

डॉ. गल्ला वेंकट रत्नाकर
एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग

प्रति :

1. प्रो.करन सिंह ऊटवाल, प्रोफेसर, हिन्दी विभाग
2. सभी अध्ययन संकाय के संकायाध्यक्ष
3. संकायाध्यक्ष, शैक्षणिक
4. सभी विभागाध्यक्ष (शैक्षणिक)
5. कुलपति/सम-कुलपति/कुलसचिव/प्रभारी वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक/पुस्तकालयाध्यक्ष
6. सहायक कुलसचिव, ई.आर-1 अनुभाग
7. विश्वविद्यालय वेबसाइट
8. व्यक्तिगत फाइल
9. संबंधित फाइल